



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष: 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक 3408 / अका./सम्बद्धता/2017

रायपुर, दिनांक : 30 / 01 / 2017


॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 10.01.2017 की अनुशंसानुसार एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 11.01.2017 के निर्णयानुसार गुरुकुल इंस्टीट्यूट, देवभोग रोड, गरियाबंद जिला-गरियाबंद (छ.ग.) को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Sc.-III year - F.C., Chemistry, Maths, Physics, Botany, Zoology	30	2016-17
2.	B.C.A.-III year	30	

शर्तें :-

- छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
- शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
- प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाए।
- समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
- जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति शीघ्र पूर्ण करेंगे।
- परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।
- इण्डोमेंट फण्ड हेतु रु. 35,00,000/- (पैंतीस लाख रुपए) कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में जमा कर, एफ.डी.आर. की छाया प्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।



उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 3409 / अका./सम्बद्धता/2017

रायपुर, दिनांक 30 / 01 / 2017

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
- संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
- संचालक, शारीरिक शिक्षा,
- स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
- कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


Deputy Registrar (अका.)
Pt. Ravishankar Shukla University
RAIPUR (C. G.)

भाग "ब"


भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।


[प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता/अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए, जिन्हें सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]

1. गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंजीनियरिंग, महाविद्यालय की अधीनस्थता की.एस.सी.पार्ट-3 की सम्बद्धता हेतु लिखें पर्यवेष्ट।
2. जगित, भास्वि शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान के अध्ययन कक्षाएँ हेतु शिक्कें किन्तु कोलज कोड 28 के तहत नियुक्त नहीं हैं।
3. महाविद्यालय में प्रयोगशाला है परन्तु उपकरण पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। उपकरणों एवं बच्चे मालों की उप प्रविष्टि जाँची है।
4. महाविद्यालय में प्रयोगशाला है किन्तु की.एस.सी. तृतीय वर्ष के लिए पुस्तकें पर्याप्त पर्याप्त नहीं हैं। पुस्तकों की उप प्रविष्टि जाँची है।
5. महाविद्यालय में की.सी.ए. तृतीय वर्ष के कक्षाएँ सम्बद्धता हेतु पर्याप्त अधीनस्थता, कंप्यूटर लैब, पुस्तकें एवं शिक्कें उपलब्ध हैं। लाइसेंस साफ्टवेयर उपवी आठ प्रवर्तित है।


निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षरण

डा० संजय तिवारी  2.10.17

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम-पता

डा० एसके चव्वाला  02/10/2017
 डा० रंजीत माहेश्वरी
 डा० वसंत कटनगीकर


विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम-पता

 2/10/17

दिनांक 2/10/2017

प्रति,

कुलसचिव,
 पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,
 रायपुर (छ.ग.)

 2.1.17
Dr. Sanjay Tiwari
 Professor & Head
 S.O.S. in Electronics & Photonics
 Pt. Ravishankar Shukla University
 Raipur - 492010 (C.G.)

===